# सप्तदश बिहार विधान सभा

## अष्टम् सत्र

## ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-28.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स०<br>श्री मोहम्मद कामरान, स०वि०स०<br>श्री सतीश कुमार, स०वि०स०<br>श्री राकेश कुमार रौशन, स०वि०स०<br>श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स०<br>श्री मनोज कुमार यादव, स०वि०स०<br>श्री विनय कुमार, स०वि०स०<br>श्री शंम्भू नाथ यादव, स०वि०स० | "दरभंगा जिला में माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति द्वारा बरती गयी अनियमितता की जांच हेतु अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में एक त्रि-सदस्यीय समिति का गठन किया गया । इस न्यास समिति के कार्य-कलाप की विस्तृत जांच किये जाने पर जो तथ्य सामने आये वे चौंकाने वाले थे । न्यास समिति द्वारा रोकड़ पंजी में सभी राशियों को अंकित नहीं किया गया है । जहां सी०ए० से ऑडिट कराये जाने पर 2016-17 में कुल राशि 1,90,98,764/- होनी चाहिए, वहां न्यास समिति द्वारा मात्र 1,27,516/- रूपये ही होने का उल्लेख किया गया है । अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित समिति की जांच प्रतिवेदन पर सहमति देते हुए जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-4019, दिनांक-13.09.2019 द्वारा अध्यक्ष, धार्मिक न्यास परिषद् को भेजा गया, परन्तु न्यास परिषद् द्वारा पुनः पुराने सदस्यों को रखते हुए नये सिरे से मंदिर न्यास समिति का पुनर्गठन किया गया जिसके कारण श्रद्धालुओं के करोड़ों रूपये की जो अनियमितता हुई है उसकी जांच होना संभव नहीं होगा ।<br>अतः माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति, दरभंगा द्वारा बरती गयी अनियमितता की जांच कराते हुए न्यास समिति का पुनर्गठन स्वच्छ छवि के व्यक्तियों को नामित करते हुए किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।" | विधि |

| | | |
|---|---|---|
| 2. श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स० | ''राष्ट्रीय राजमार्ग की महत्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज एवं ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर योजना के समग्र विकास के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के ससमय इलाज हेतु ट्रॉमा सेन्टर स्थापित करने का निर्णय लिया । पोरबंदर (गुजरात) से सिलचर (असम) तक जानेवाले ईस्ट वेस्ट कोरीडोर के अंतर्गत मुजफ्फरपुर से कोशी महासेतु के मध्य झंझारपुर एन.एच.-27 (पूर्व एन.एच.-57) पर वर्ष 2009 में ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रॉमा सेन्टर स्थापित करने की स्वीकृति दी थी । साथ ही उचेंठ (बेनीपट्टी) से उग्रतारा (सहरसा) जानेवाली एन.एच. -527A निर्माणाधीन है एवं गोरखपुर-सिलीगुड़ी प्रस्तावित एक्सप्रेस हाइवे भी इसी क्षेत्र से गुजरेगी । यात्रियों के हित में झंझारपुर स्थित ट्रॉमा सेन्टर के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या-28016/45 2009-11, दिनांक-23 जून, 2009 के द्वारा 65 लाख रूपये की प्रथम किश्त भी निर्गत किया था । झंझारपुर एन.एच.-27 पर ट्रॉमा सेन्टर की स्वीकृति एवं प्रथम किश्त मिलने के लगभग 14 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी कार्य रूप में नहीं आ सका है ।<br><br>अत: एन.एच.-27 पर झंझारपुर में स्वीकृत ट्रॉमा सेन्टर के संचालन हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।'' | स्वास्थ्य |

**पवन कुमार पाण्डेय**
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/2023- 778 / वि०स०, पटना, दिनांक-27 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27.3.23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/2023- 778 / वि०स०, पटना, दिनांक-27 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27.3.23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/2023- 778 / वि०स०, पटना, दिनांक-27 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / विधि विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27.3.23

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/2023- 778 / वि०स०, पटना, दिनांक-27 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

27.3.23

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।